**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर**

**(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर)**

**दाण्डिक अपील क्रमांक – 1029/1999**

**अपीलार्थी** सुनील सरावगी

**विरुद्ध**

**प्रत्यर्थी** मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री पी.के. वर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री सुमित वर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी हेतु ।

श्री पंकज श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता उत्तरवादी/राज्य हेतु ।

**दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील**

**निर्णय**

**(दिनांक 20.08.2010)**

यह अपील विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 309/1995 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 5.4.1999 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क एवं 306 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था

एवं उसे धारा 498- क के तहत 500 रुपये के जुर्माने व दो वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 306 के तहत 1000 रुपये के जुर्माने व छह वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया था ।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक 6.4.1995 को मृतका श्रीमती उमा सरावगी, जो अपीलार्थी की पत्नी थीं, ने गार्डिनल नामक दवा का अत्यधिक सेवन कर लिया एवं अपने ससुर द्वारा अस्पताल में भर्ती कराए जाने के पश्चात् उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। डॉ. आर.जे.पी. वर्मा (अ.सा.-5) सहायक शल्य चिकित्सक, सरदार पटेल अस्पताल, बिलासपुर द्वारा पुलिस अधिकारियों को दी गई सूचना प्र.पी.-5 के आधार पर उसी दिन मर्ग कायम किया गया एवं जाँच के पश्चात् दिनांक 9.4.1995 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-17 दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, मृतका का विवाह वर्ष 1992 में अपीलार्थी के साथ हुआ था एवं चूँकि वह शुरू से ही अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी, इसलिए उसने आत्महत्या जैसा चरम कदम उठाया। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि मृतका को डायरी लिखने की आदत थी एवं उसने उक्त डायरी में अलग-अलग तारीखों पर चार प्रविष्टियाँ की थीं, अर्थात् दिनांक 11.7.1994, 28.10.1994, 5.12.1994 एवं 5.4.1995, जिन्हें क्रमशः प्र.पी.-4 से प्र.पी.-5 के रूप में अंकित किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जैसा कि उक्त प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी, उसके विरुद्ध धारा 498- क और 306 भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध स्पष्ट रूप से बनते हैं। अभियोजन पक्ष का आगे प्रकरण में यह भी कहना है कि मृतका ने अपनी माँ को दिनांक 25.5.1994 को प्र.पी.-2 एवं दिनांक 23.3.1994 को प्र.पी.-3 के दो पत्र लिखे थे, जिनसे पता चलता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसके साथ क्रूरता एवं उत्पीड़न किया गया था। अन्वेषण के पश्चात्, दिनांक 13.6.1995 को धारा 498- क एवं 306 भारतीय दंड संहिता के अनुसार चालान प्रस्तुत किया गया एवं फिर अपीलार्थी पर तदनुसार अभियोग चलाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्त/अपीलार्थी का अपराध प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण के समर्थन में 9 साक्षियों का परीक्षण करवाया । अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी दर्ज किया गया, जिसमें

उसने अपने खिलाफ लगाए गए समस्त आरोपों से इनकार किया एवं अपने निर्दोष होने के तथ्य का प्रकरण में कथन किया।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराया एवं उपरोक्त उल्लेखित अनुसार दण्डित किया ।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया जिसमें आक्षेपित निर्णय भी शामिल था।

6. अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह हो सकता है कि मृतक एवं अभियुक्त/अपीलार्थी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे, किन्तु ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित कृत्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 498- क एवं 306 के अंतर्गत लाया जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह मालूम हो कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतका को किसी भी तरह से उकसाया था जिससे उसे अपनी जान लेने जैसा चरम कदम उठाने हेतु मजबूर होना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि मृतका अपने ससुराल में इस कारण से नाखुश हो सकती है कि उसे अभियुक्त/अपीलार्थी की विकलांग बहन की देखभाल करनी पड़ती थी, जो उसे पसंद नहीं थी, एवं यह बात उसकी शादी से पहले उसे नहीं बताई गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह प्रकरण मृतका के पिता, जो गोंदिया (महाराष्ट्र) के एक अधिवक्ता थे, के इशारे पर गढ़ा गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि डायरी नोट प्रदर्श पी-4 से प्रदर्श पी-7 एवं मृतक के दो पत्र (प्रदर्श पी-2 एवं पी-3) को ध्यान में रखा जाए, तब धारा 498- क एवं 306 भा.द.स. के अवयव इस प्रकरण में आकर्षित नहीं होती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूँकि मृतका अपनी शादी से पहले ही नागपुर में अपनी मानसिक बीमारी का इलाज करा रही थी, जो शादी के पश्चात भी जारी रहा, इसलिए इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि नियमित रूप से ली जा रही नींद की गोलियों सहित दवाओं के कारण उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति विकसित हो गई होगी, जिसके कारण उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्य मृतका से नाखुश थे। बल्कि, अभिलेख में इसके विपरीत साक्ष्य मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि मृतका को अभियुक्त/अपीलार्थी के परिवार में उचित इलाज दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने आगे तर्क दिया कि मृतका द्वारा लिखे गए डायरी लेख से भी पता चलता है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी के परिवार में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही थी एवं वह इतनी भ्रमित थी कि उसने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया।

7. इसके विपरीत, उत्तरवादी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया एवं कहा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मृतका के साथ इतनी क्रूरता की गई कि उसके पास अपनी जान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, मृतका के माता-पिता मोहिनी देवी (अ.सा.-3) एवं रतनलाल अग्रवाल (अ. सा.-4) के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ क्रूरता की गई थी एवं इसलिए, अभियुक्त/अपीलार्थी को उपरोक्त रूप से दोषी ठहराने एवं दण्डित करने वाला आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से न्यायोचित है।

8. अभियुक्त/अपीलार्थी की संपूर्ण दोषसिद्धि मृतक के डायरी लेख, प्र. पी.-4 से प्र.पी.-7 एवं दो पत्रों प्र. पी-2 एवं पी-3 पर आधारित प्रतीत होती है, इसलिए इस न्यायालय के लिए सबसे पहले उन्हीं पर विचार करना उचित होगा। दिनांक 11.7.1994 के डायरी लेख का सुसंगत अंश इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आज उन्होंने कहा है कि इसके बाद यदि फिर कोई झगड़ा हुआ तो उसके बाद सेटलमेंट की बात को सोचना भी नहीं, क्योंकि वह तो पॉइंट ऑफ नंबर रिटर्न होगा। मुझे पता चला कि मेरी जुबान ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है मैं जो कुछ अपना समझकर कह देती थी वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ा सच जो था कि यदि 9 या 10 या 11 तारीख को ये बाहर सो जाते या आउट ऑफ स्टेशन होते तो आज मैं इस दुनिया में ही नहीं रहती। अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया था मैने मर जाने के लिए लेकिन समय पर काम नहीं हो पाने से धीरे-धीरे मन कमजोर होता गया और फिर एक बार में अच्छा बुरा सोचने पर मजबूर हो गई। उन लोगों को अपनी गलती का कोई ध्यान नहीं बस मेरी गलती दिखती है। मैं बोलकर बुरी बनती हूं और ये लोग बिना बोले, सब कुछ कह कर भी भले बना रहे बने रहते हैं। कहते हैं मैं एक नहीं हजार गलती करूं तो भी तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकलनी चाहिए । आज की पढ़ी-लिखी लड़की जिसे इन्हीं लोगों ने पहले खुद सर पर चढ़ाया अब सीधा जमीन पर पैर रखने कहते हैं पहले मुंह खुलवाया अब बंद करना कहते हैं क्या यह संभव है? असंभव ।

इसी प्रकार दिनांक 28.10.1994 के डायरी नोट का सुसंगत भाग निम्नानुसार है:-

> अभी तक मैं असंभव को संभव करने की नाकाम कोशिश करती रही और जबरदस्ती अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचती रही, यही सोचती रही कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा पर संभव ही नहीं है क्योंकि सुनील के दिल में मेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं है । कहता है कि तलाक दे देगा । जब तब गोंदिया भेज देने की धमकी देता है शादी भी की इन लोगों ने तो धोखा करके । सगाई होने तक छुपाया रहा कि इन लोगों के घर में एक अपाहिज लड़की रहती है जिसे भविष्य में मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा मैंने कभी सोचा नहीं था । इस बात को जिंदगी भर नहीं भूल सकती कि सुनील ने सगाई की बुनियाद ही एक झूठ पर रखी थी ।

इसी प्रकार दिनांक 05.12.1994 के डायरी नोट का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:-

> पिछली बार यानी 28.10 को जब झगड़ा हुआ था तब मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी तरफ से झगड़ा खत्म करने की कोई कोशिश नहीं करूंगी और की भी नहीं । उस दिन मैंने अपने ससुर से कह दिया था कि अब मेरी तरफ से झुकने की कोई आशा न रखें तो ही ठीक रहेगा पिछली बार ही मैंने कह दिया था कि जब वह इतना ही गोंदिया भेजने की धमकी देते हैं तो भेज क्यों नहीं देते। हमेशा मेरे को बदनामी का डर दिखाते हैं तो मेरी अकेले की तो बदनामी नहीं होगी इन लोगों को भी समाज का डर है पर 3 दिसंबर के दिन फिर झगड़ा हो ही गया । उस दिन सबेरे से ही जैसे उसने झगड़ा करने की ठान के बैठा था पहले तो व्रत करेगा फिर सबके ऊपर भन भन करेगा । पहले तो पिक्चर जाने का प्रोग्राम बना फिर गुस्से में खुद ही अपना प्रोग्राम बिगाड़ा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसी प्रकार दिनांक 05.04.1995 के डायरी नोट का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:-

> रात के 11:00 बजे हैं और अब और ज्यादा जीने की इच्छा नहीं है सुनील का कहना है कि मैंने उसका जीवन नरक कर दिया है । उसके मम्मी पापा भी मेरे से दुखी हो गए हैं । शायद मेरे कारण सारा परिवार ही दुखी हो गया है जब तक सुनील एक ही बात करता है मुझे बख्श दो मेरा पीछा छोड़ दो, गोंदिया चली जाओ । तुम जैसी के साथ निभाना आसान नहीं है । सिर्फ सोनू के कारण तुम इस घर में टिकी हुई हो वरना अभी कहीं और होती । हमेशा अपने घर परिवार वालों की सोच कर इस नामर्द, जिद्दी, गुस्सैल इंसान को मैं बर्दाश्त करती रही लेकिन अब मैं हिम्मत हार

गई हूं । और नहीं सहन होता इसलिए आज मुझे यह सब करना पड़ रहा है । और मैं जो कुछ भी कर रही हूं उसका जिम्मेदार सुनील होगा ।

पत्र प्र. पी.-2 में मृतका ने अपनी पीड़ा, जैसे कि बच्चे पैदा करने में उदासीनता आदि, का वर्णन करने के अलावा, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई विशेष आरोप नहीं लगाया है। इसी प्रकार, पत्र प्र. पी. -3 में भी अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कोई विशेष आरोप लगाने के बजाय, उसने केवल इतना कहा है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ रहने की अपेक्षा अकेले रहना अधिक पसंद करेगी। प्र. पी.-3 के अनुसार आगे कहा है कि पहले वह मरना चाहती थी, किन्तु बाद में पत्थरदिल हो जाने के कारण उसने मृत्यु का विचार त्याग दिया।

उपरोक्त लेख एवं मृतका के पत्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था। उपरोक्त डायरी लेख एवं पत्रों के सार से यह नहीं पता चलता कि उसके साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 498- क के तहत परिभाषित क्रूरता या धारा 107 के तहत परिभाषित दुष्प्रेरण किया गया था। वर्तमान मामला ऐसा प्रतीत होता है जहाँ मृतका अपने ससुराल में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही थी। अतः केवल मृतका द्वारा लिखे गए उपरोक्त डायरी लेख एवं पत्रों के आधार पर, इस न्यायालय के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498- क एवं 306 के तहत दण्डित करना कठिन है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य मृतका के माता-पिता, मोहिनी देवी (अ.सा.-3) एवं रतनलाल अग्रवाल (अ.सा.-4) के बयान हैं। मृतका की माँ मोहिनी देवी (अ.सा.-3) ने कहा है कि शादी के शुरू से ही, उनकी बेटी के साथ अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा क्रूरता की जाती थी एवं परिवार के अन्य सदस्य भी उसका साथ देते थे। उन्होंने कहा है कि मृतका उनसे यह शिकायत करती रहती थी कि उसका पति उसे पसंद नहीं करता एवं उसके ससुर व सास भी उसका साथ नहीं देते। उसने बताया है कि मृतका ने अपनी शिकायतों के निवारण हेतु प्रदर्श पी-2 एवं पी-3 पत्र लिखे थे एवं घटना के दिन भी उसे अभियुक्त/अपीलार्थी के घर से सूचना मिली थी कि उसकी हालत ठीक नहीं है एवं फिर वह अपने पति एवं देवर के साथ रायपुर एवं फिर बिलासपुर गई जहाँ उन्हें पता चला कि मृतका अब इस दुनिया में नहीं रही। इस

साक्षी के अनुसार, मृतका ने उसे बताया था कि जब वह गर्भवती हुई, तो अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। इस गवाह ने डायरी लेख (प्र.पी.-4 से प्र.पी.-7) को मृतका की लिखावट में पाया है। उसने बताया है कि शादी के लगभग 2-3 माह पश्चात, मृतिका उसे फ़ोन पर एवं गोंदिया आने पर व्यक्तिगत रूप से भी अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताती थी। मृतका के पिता रतनलाल अग्रवाल (अ.सा.-4) ने भी मोहिनी देवी (अ.सा.-3) के लगभग समान ही कथन किया है। हालाँकि, इस साक्षी ने दहेज की माँग का एक अतिरिक्त आरोप लगाया है। उसने बताया है कि घटना से 3-4 दिन पूर्व उसने मृतका के ससुर को 35,000/- रुपये दिए थे। इस साक्षी के कथन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते समय उसने अपनी बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है एवं इसके अलावा, उसका कथन विरोधाभासों एवं चूकों से भरा प्रतीत होता है। इन दोनों साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि उनके कथन अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने हेतु सोच समझ कर दिए गए गए कथन के अलावा और कुछ नहीं हैं। डायरी में दर्ज प्र.पी.-4 से प्र.पी.-7 एवं मृतका द्वारा लिखे गए पत्र प्र.पी-2 एवं प्र.पी.-3 यह नहीं दर्शाते हैं कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी एवं न ही मृतका के माता-पिता अर्थात् श्रीमती मोहिनी देवी एवं रतन लाल अग्रवाल (अ.सा.-3 एवं अ.सा.-4) ने इस आशय का कोई बयान दिया है। डॉ. आर.जे.पी. वर्मा (अ.सा.-5) जिन्होंने मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉ. केदार अग्रवाल (अ.सा.-6) - मृतका के मामा ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कोई विशेष आरोप नहीं लगाया है। सहायक उप निरीक्षक अर्थात् आर. तिग्गा (अ.सा.-7) साक्षी हैं जिन्होंने कुछ भाग का अन्वेषण किया था। डॉ. प्रशांत कुमार तिवारी (अ.सा.-8) वह साक्षी हैं जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था एवं उन्होंने बताया है कि मृतक की मृत्यु किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई थी। प्रति-परीक्षण में, इस साक्षी ने कहा है कि गार्डिनल नामक गोलियों की अत्यधिक खुराक जीवन के लिए घातक साबित हो सकती है। अरुण मिश्रा (अ.सा.-9) अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्रित सामग्री का व्यापक अध्ययन, जिसमें डायरी लेख (प्रदर्श पी-4 से पी-7) एवं मृतका द्वारा स्वयं लिखे गए पत्र (प्रदर्श पी-2 एवं पी-3)

शामिल हैं, किसी भी अवैध मांग को पूरा करने हेतु उसके साथ की गई क्रूरता या उत्पीड़न या किसी भी तरह से उकसावे के बारे में एक भी बात नहीं दर्शाता है, जिससे उसे अपनी जान की कीमत पर यह चरम कदम उठाने हेतु मजबूर होना पड़ा हो। मृतका द्वारा लिखे गए डायरी लेख में उसकी मानसिक पीड़ा सहित कई बातों का उल्लेख है, फिर भी वे मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ की गई किसी भी क्रूरता या उत्पीड़न का शायद ही उल्लेख करते हैं, जिस पर विश्वास करके उन प्रावधानों के तत्वों को लागू किया जा सके जिनके लिए अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है । बेशक, मृतक द्वारा लिखे गए डायरी लेख एवं पत्र इस तथ्य के संकेत हैं कि मृतक एवं अभियुक्त/अपीलार्थी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे, किंतु केवल यही तथ्य अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखने हेतु पर्याप्त नहीं होगा, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कहा है कि संबंधित प्रावधानों के मूल तत्व ही घटनास्थल से गायब हैं । तत्काल संदर्भ हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के प्रावधान नीचे उद्धृत किए गए हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना - जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

स्पष्टीकरण

क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या ख़तरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है ; या

ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहाँ उसे या उससे सम्बंधित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।

यदि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्रित साक्ष्य को पूर्वोक्त प्रावधान के आलोक में लिया जाए, तो अभियोजन पक्ष का प्रकरण उक्त प्रावधान से संलग्न स्पष्टीकरण (ख) के

अंतर्गत नहीं आता। तथापि, उक्त प्रावधान के स्पष्टीकरण (क) के अवयवों के संबंध में, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि ऐसी प्रकृति का कोई जानबूझकर किया गया आचरण है जिससे महिला को आत्महत्या करने या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा पहुँचने की संभावना हो।

11. इसी प्रकार, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में अभियुक्त/अपीलार्थी के कृत्य पर विचार किया जाए, तो इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत परिभाषित दुष्प्रेरण के तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। त्वरित संदर्भ हेतु, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के प्रावधान नीचे उद्धृत हैं:

धारा 107 - वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो—

पहला- उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ;अथवा

दूसरा- उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उसे षड्यंत्र के अनुसरण में, और उसे बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ; अथवा

तीसरा- उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण 1- जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उसे बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण 2- जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तब द्वारा उसके किस किए जाने को सुकर बनाता है, वह उसे कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है ।

12. इस प्रकार, प्रकरण के उपर्युक्त दृष्टिकोण को देखते हुए, इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों

का समुचित मूल्यांकन करने एवं फिर किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुँचने के उद्देश्य से स्वयं को भटका लिया है। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उसके जमानत बंध पत्र निरस्त किए जाते हैं ।

सही/-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Translated by Shri Prahlad Panda, Advocate.**